दिनांक 19.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 274/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक यातायात निदेशालय, उ0प्र0 के मार्गदर्शन में दिनांक 09, 10, 16 व 17 मई 2026 (शनिवार एवं रविवारको सम्पूर्ण प्रदेश में मद्यपान कर वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर (अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपदीय नोडल अधिकारी, यातायात एवं क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिवहन विभाग के सहायक सम्भागीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर संयुक्त अभियान संचालित किया गया।

प्रदेश में विगत वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में घटित कुल सड़क दुर्घटनाओं में क्रमशः 8.61%, 6.05% एवं 3.51% दुर्घटनाएँ मद्यपान कर वाहन चलाने के कारण हुई।

आंकड़ों की समीक्षा में यह प्रकाश में आया है कि सप्ताहांत)Weekends) पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा नशे की अवस्था में वाहन चलाया जाता है, जिससे मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से रात्रिकाल में वाहन चालकों एवं निर्दोष नागरिकों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

अभियान के दौरान टोल प्लाजाओं पर प्रत्येक लेन के लिए समर्पित)Dedicated) चेकिंग टीमें नियुक्त की गई तथा उन्हें टॉर्च, रिफ्लेक्टिव जैकेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, लाउड हेलर एवं ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराये गये।

अभियान में लगी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा “Meet and Greet” की प्रक्रिया अपनाते हुये परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं से कुशलक्षेम पूछा गया तथा यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु भी समुचित प्रयास किये गये।

इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री परिवहन करने वाले डंपर ट्रकों की/HSRP (High Security Registration Plate) का मौके पर ही सत्यापन किया गया एवं मोडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हार्न हूटर के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। /

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 mg प्रति 100 ml (0.03% BAC) से अधिक होने पर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।

ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में असफल पाये जाने पर प्रथम अपराध हेतु ₹10,000 का अर्थदण्ड अथवा 6 माह का कारावास अथवा दोनों तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में ₹15,000 का अर्थदण्ड अथवा 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।

प्रदेश में कुल 135 टोल प्लाजाओं पर यातायात एवं नागरिक पुलिस के कुल 3,645 अधिकारी कर्मचारी/- जिनमें 135 निरीक्षक, 270 उपनिरीक्षक, 1,080 मुख्य आरक्षी आरक्षी/(पुरुष), 1,080 मुख्य आरक्षी एवं (महिला) आरक्षी/1,080 होमगार्ड सम्मिलित थे - अभियान में तैनात रहे।

अभियान के दौरान कुल 2,52,122 वाहनों की जाँच की गई तथा मद्यपान कर वाहन चलाते हुए पाये गये 5143, मोडिफाइड साइलेंसर वाले 4245, प्रेशर हार्न हूटर का उपयोग करने वाले/ 4594 एचएसआरपी नही होने पर /टर प्ले नम्बएवं फाल्टी 4225(कुल 16128) वाहन चालकों का ₹ 7 करोड़ 70 लाख)लगभग(के अर्थदण्ड का चालान किया गया।

दिनांक 19.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 275/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ, गोण्डा तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 19.05.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ, गोण्डा तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई द्वारा श्री विमल प्रताप सिंह निवासी मो0 सीताकुंज थाना कोतवाली मिश्रिख जनपद सीतापुर, स्थाईपता ग्राम समशपुर थाना कछौना जनपद हरदोई से प्लाट के दाखिल खारिज कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक एकता त्यागी के नेतृत्व में तहसील मिश्रिख परिसर से **1-नाजिर नायब अनीश अहमद** पुत्र स्व0 नूर अहमद निवासी इलसिया ग्रन्ट, हरदोई रोड़ थाना रामकोट जनपद सीतापुर **2-रोहित सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र मदन सिंह निवासी कुतुबनगर थाना पिसावाँ जनपद सीतापुर को **18 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बहादुरपुर चक थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच से सीएससी व आधार सेंटर चलाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद बहराइच गेट के सामने मेन रोड से **आशुतोष पाण्डेय (सीएससी कामन सर्विस सेंटर व आधार सेवा केन्द्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहराइच)** पुत्र संतराम पाण्डेय निवासी शीतला स्क्वायर कॉलोनी मेंहदीगंज थाना सआदतगंज लखनऊ को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ इकाई द्वारा श्री महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम धरमपुर कैथवली थाना मधुवन जनपद मऊ से जमीन पैमाइश कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री हरिवंश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में ग्राम कटघरा महल गेट के पास से **राजस्व लेखपाल अनिल कुमार (हल्का धरमपुर कसाया)** पुत्र भोला प्रसाद ग्राम नसीरपुर थाना मधुवन जनपद मऊ को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 19.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 276/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 20 आर0आर0यू0 यूनिट**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 18/19.05.2026 की रात्रि थाना बुढाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विज्ञाना रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—इरफान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—फैजान उर्फ सानू 3—इस्लामूद्दीन 4—कामिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 20 आर0आर0यू0 यूनिट, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08/09.05.2026 को थाना बुढाना क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल टॉवर से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आर0आर0यू0 उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त इरफान शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ व आसाम प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग

पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बुढाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरफान निवासी समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

2—फैजान उर्फ सानू निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

3—इस्लामुद्दीन निवासी समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

4—कामिल निवासी जाहिदपुर थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 20 आर0आर0यू0 यूनिट।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

जनपद महराजगंज/थाना पुरन्दरपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये भारी मात्रा मे पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **लूट गयी मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 19.05.2026 को थाना पुरन्दरपुर, सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मधुकपुर महदेवा स्थित पुराने पंचायत भवन के पास से 04 अभियुक्तों 1—सनोज 2—समीर अहमद 3—राजन उर्फ भोलू 4—मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा 03 बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये भारी मात्रा मे पीली—सफेद धातु के आभूषण, लूट गयी मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पुरन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पुरन्दरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सनोज निवासी इलाहाबास टोला श्रीनगर थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज।

2—समीर अहमद निवासी ग्राम दुबौलिया हरपुर दर्जी टोला थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज।

3—राजन उर्फ भोलू निवासी ग्राम मटिहनवा टोला मंझरिया थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज।

4—मुकेश कुमार निवासी मटिहनवा टोला मुर्दहिया थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1—लूटे गये भारी मात्रा मे पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—लूट गयी मोटर साइकिल।

3—घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सरोजनीनगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 19.05.2026 को थाना सरोजनीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेहराब ग्राउंड नादरगंज के पास से 04 अभियुक्तों 1—सोनू 2—प्रदुम्न 3—शक्तिमान 4—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सरोजनीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त शक्तिमान के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सोनू निवासी पंजराओ थाना नुआओं जनपद कैमूर बिहार, हालपता गिन्दनखेडा नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

2—प्रदुम्न निवासी अमौसी थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

3—शक्तिमान निवासी पंजराओ थाना नुआओं जनपद कैमूर बिहार, हालपता गिन्दनखेडा नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

4—अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 30 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—02 दो पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मोतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुधीर को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त असलम खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————